


52

15/11/22

आज यह पत्रपत्री वकील वकीलगण द्वारा नोट प्रस वारंत
प्राप्त पेश होने पर सलख लेकर पेश हुई। वकील
वकीलगण को प्राप्त वारंत सुना गया। स्वीकार योग्य
पाप जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है।

5/11/22

Not Present

पत्रवली को नोट प्रेस में खारिज की सदस्यता लाया
वकील चादीगण ने अपनी सदस्यता स्वल्प हस्ताक्षर
किये। इस वकीलगण के वाक को नोट प्रेस में
खारिज किया बाकर प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही
इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रवली केवल
शुभार होकर नम्बर से कम है। बाक तकमील जमा
जिला लेख अण्डार है। सुनाया गया। प्रा०पत्र
सलेमन डूल वाक है।

सहायक कलक्टर
मण्डावर (अलवर) राज०

जलेशिंह बनाम धर्मसिंह

25.05.2022 यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 राजस्व वाद के साथ पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में राजस्व लिपिक द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक/प्रार्थी का अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन रहा। बहस एक पक्षीय सुनी गयी। बहस प्रार्थी अभिभाषक, पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। मुताबिक पत्रावली प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में ही प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण की गतिविधियों, वाद हेतुक से अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होना संभाव्य है, दौराने एक पक्षीय बहस अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजानुसार एवं बहस एकपक्षीय, प्रार्थी के मध्य नजर अप्रार्थीगण 01 ल0 04 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः अप्रार्थीगण 01 ल0 04 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0 न0 702,714,836,837 वाके ग्रम नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) की आगामी तारीख पेशी 04.07.2022 तक मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला मूल वाद संपुष्ट कर दिया जावे ? कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर अपना अपना पक्ष पेश करें। अप्रार्थीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 डाक से की जावें। अप्रार्थीगण को सशुल्क तलवाना/रजिस्टर्ड ए0डी0 से नोटिस जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष असलतन /वकालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.07.22 को पेश हो।

सद्व्यक्त कलक्टर
राज0 (22/07/22)
22/07/22

04/07/22
पत्रावली पेश हुई। आज नगर सच मुण्डावर द्वारा कार्य स्थगन किए जाने का ज्ञापन दिया है। पत्रावली वादों प्रादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/07/22 को पेश हो।

12/07/22
पत्रावली पेश हुई। आज नगर सच मुण्डावर द्वारा कार्य स्थगन किए जाने का ज्ञापन दिया है। पत्रावली वादों प्रादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19/07/22 को पेश हो।

Not Proven
[Signature]

15/11/22 आज यह प्रांप्त पत्रवली भूल दाव के साथ देना
है। चूंकि आज प्राचीन भूल दाव पत्रवली
नोट प्रस में खारिज की जा चुकी है। इसी स्थिति
में अब इस प्रांप्त पत्रवली का कोई औचित्य
नहीं रह गया है। अतः इस प्रांप्त पत्रवली को
भी नोट प्रस में खारिज किया जाकर पत्रवली की
अंतिम कार्यवली इसी स्तर पर हीप की जाती है
जुं पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश निरस्त
किया जाते हैं। पत्रवली फैसल नुमार हक नम्बर
से कम है। बाक सम्बन्ध संलग्न भूल दाव पत्रवली
है। मुनाया गया।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०